न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/22

01. पांचदान पुत्र गोकलदान जाति चारण निवासी हरसानी तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल चक 3 एसएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–04.02.26

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता गोकलदान के नाम से चक 3 एसएलएम मु0नं0 235/55 रकबा 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि थी। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाया था। विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम पायदान पुत्र गोकलदान अंकन हो गया। प्रार्थी का समस्त दस्तावेजों में नाम पांचदान ही अंकन है जबकि जमाबंदी में पायदान अंकित हो गया है जो काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पांचदान की जगह पायदान दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेशकर निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पायदान की जगह पांचदान कर दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र, मूलनिवास, पैनकार्ड इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एसएलएम मु0नं0 235/55 रकबा 6.3225 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पायदान की जगह पांचदान संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच पायदान नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पायदान नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम पायदान ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 04.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)